आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–48/2020

अंचल अधिकारी, अलौली.....वादी

बनाम्

नारायण यादव.....प्रतिवादी

1/4/21

आदेश

प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, अलौली के पत्रांक–106 दिनांक–20.01.20 एवं उसके साथ संलग्न जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 29/19–20 के आदेश पत्रक के साथ संलग्न राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के आलोक में संधारित किया गया है। प्रस्तुत वाद में सन्निहित भूमि एवं जमाबंदी निम्नवत् है :–

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा	जमाबंदी नं0	जमांदी रैयत का नाम
रौन	464	2176	0–11–0	3105	नारायण यादव वो बबुएन यादव पे0–स्व0 मुशहरू यादव वो श्रीमती माला देवी जौ0–अरूण यादव सा0–रौन

अंचल अधिकारी, अलौली द्वारा प्रेषित जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–29/19–20 में उल्लेखित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि खतियान के अनुसार गैरमजरूआ आम भूमि है जिसकी जमाबंदी अवैध रूप से गठित की गयी है। अतः जमाबंदी नं0 3105 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। वाद पत्र के साथ निम्न साक्ष्य संलग्न है :–

1. राजस्व कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन।
2. जमाबंदी नं0–3105 एवं 855 की छायाप्रति।
3. खतियान की प्रति।

विपक्षी माला देवी इस वाद में वकालतन उपस्थित होकर, आपत्ति पत्र दाखिल किया है जिसमें उन्होंने कथन किया है कि अन्य विपक्षीगण के साथ मिलकर केवाला सं0 707 दिनांक–03.02.2011 के द्वारा प्रश्नगत भूमि खरीदे और उक्त भूमि पर दखलकार होकर अपने नाम से दाखिल खारिज करवाया विपक्षी ने यह भी अंकित किया है कि उनके विक्रेता के पिता राजेन्द्र चौधरी को वाद सं0 –17/53–54–55 के द्वारा प्रश्नगत भूमि हासिल हुआ है। अतः उपरोक्त आधार पर विपक्षी ने वाद को खारिज करने का अनुरोध किया है। किन्तु उन्होंने दावे के समर्थन में किसी प्रकार का साक्ष्य संलग्न नहीं किया है।

उभय पक्ष के अभिकथन, राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन एवं

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश गई कार्रवा बारे में टिप्प तारीख के साथ
1	2	3
	प्रश्नगत भूमि के खतियान की प्रति तथा जमाबंदी सं0 3105 पंजी–II की छायाप्रति का अवलोकन किया। जो जमाबंदी सं0–855 से दाखिल खारिज वाद सं0–742/12–13 से खारिज होकर गठन किया गया है। जमाबंदी सं0–855 के प्राधिकार कॉलम में जिला मुंगेर के अपर समाहर्त्ता के भेस्टिंग जमींदारी के फाईनल आदेश केश नं0–227 वर्ष 1954–55 के आदेश से जमाबंदी अंकित है। यह उल्लेखनीय है अगर जमाबंदी सं0 855 वर्ष 1954–55 के आदेश से गठित हुई थी तो वर्ष 1980–81 तक एक भी लगान रशीद क्यों नहीं निर्गत हुई। जबकि यह उल्लेखनीय है कि पंजी–II में पूर्व से मांग गठन नहीं अंकित है बल्कि वर्ष 1980–81 में प्रथम रसीद जिसका लगान दर 1.50 प्रति वर्ष की दर से 14 वर्ष बकाया के साथ वसूली दर्ज किया गया है। इस बकाया वसूली अथवा प्राधिकार कॉलम में दर्ज संदर्भित वाद सं0 227/54–55 पर किसी सक्षम पदाधिकारी के द्वारा लगान रसीद वसूल) का आदेश अंकित नहीं है। इसी प्रकार यदि वास्तव में यह 54–55 के आदेश के संदर्भ में गठित जमाबंदी होती तो उसका जमाबंदी सं0 ततसमय प्रवृत संख्या श्रृंखला के अनुरूप होती किन्तु इस जमाबंदी की क्रम सं0 855 जो भॉलूम 3 अथवा 4 के संख्या श्रृंखला से है। लगान भी वर्ष 1980 का है इस समय तक भॉलूम 3 एवं 4 आ चुकी थी। इसलिये इस जमाबंदी का गठन रिटर्न पर आधारित होना नियमसंगत नहीं है। पुनः इस जमाबंदी गठन के बाद दूसरी लगान रसीद वर्ष 2005 में दर्ज है जिससे सिद्ध होता है कि जमाबंदी सं0 855 का गठन अवैध रूप से एक काल्पनिक वाद सं0 227/1954 अंकित कर गठित कर दिया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जाल फरेव के द्वारा एक काल्पनिक वाद सं0 227/1954–55–56 के आदेश की प्रति कूटरचित कर उसमें भिन्न–भिन्न मौजा की जमीन को सम्मिलित कर अवैध रूप से विभिन्न जमाबंदियों का गठन कर लिया गया जो जांच के क्रम में कई वादों के अभिलेख क्रमशः जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 80/2020 अंचल अधिकारी, खगड़िया बनाम ब्रजेश नारायण सिंह, जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 67/2020 अंचल अधिकारी, गोगरी बनाम हरदेव प्रसाद सिंह, जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 144/19 ध्रुव कुमार बनाम भोला भगत एवं (आयुक्त कार्यालय) उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक 1904 दिनांक–15.08.12 जो श्री हरेराम वर्मा पे0–स्व0 सुन्दर वर्मा साकिन–चन्द्र नगर रॉको का आवेदन पत्र पर जांच हेतु प्राप्त हुआ में भी इसी प्रकार का कागजात दाखिल कर अवैध दावा बनाया गया है जो विधि के प्रावधान के प्रतिकूल है। जो स्वतः सिद्ध करता है कि जमाबंदी सं0 855 संदिग्ध जमाबंदी है और क्योंकि उनकी दलील है कि जमाबंदीदार के विक्रेता को प्रश्नगत भूमि बन्दोवस्ती से प्राप्त हुई थी जिसका रिटर्न दाखिल किया गया था जिस पर आधारित जमाबंदी थी। इसी क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत जमाबंदी के जमाबंदीदार के विक्रेता की जमाबंदी सं0 855 के विखंडन के लिए भी वाद सं0 50/20 विचाराधीन है। किन्तु उक्त वाद में जमाबंदीदार नोटिस तामिला के बाबजूद सुनवाई में भाग लिये किन्तु कोई भी समर्थक साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर	

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

सके। कदाचित उन्हें इस कथित बन्दोवस्त के अभिलेखीय प्रमाण की अवैधानिकता का संज्ञान है।

यह उल्लेख्य है कि प्रश्नगत खेसरा सं0 2176 खतियान में किस्म परती कदीम है और इसका रकवा 5–13–17 है। इसमें से सम्पूर्ण रकवा आज भी उसी स्वरूप अर्थात परती कदीम के रूप में मौजूद है जिसपर हाल के वर्षों में 1979 में मिश्री सदा महाविद्यालय स्थापना हुई जो 2020 में अभियंत्रण महाविद्यालय को दे दी गयी। चूँकि परती कदीम जमीन थी जो खूले भू–भाग पर आस–पास का किसानों का मवेशी बांधने के लिये उपयोग होता था। किन्तु मात्र मवेशी बांधने के स्थान बना लेने के आधार पर किसी का स्वत्वाधिकार एवं भोगाधिकार श्रृजित नहीं हो जाता है।

पुनः यह भी दृष्टि पथ में है कि जमाबंदी सं0 855 के गठन हेतु प्राधिकार एवं जमाबंदी विवरणी की हस्तलिपि एक प्रकार की है। इसका प्रथम लगान रसीद वर्ष 1980 में निर्गत दिखलाई गयी है तथा अंतिम लगान रसीद दिनांक–05.01.13 को निर्गत दर्ज है इस बीच वर्ष 2011 एवं 2008 में दो और लगान रसीद होना दर्ज है। किन्तु आश्चर्य जनक रूप से पाँचो ही लगान रसीद निर्गत करने वाले का हस्तलिपि एक ही है। यह आश्चर्य जनक है क्योंकि यह तभी संभव है जब 1980 से लेकर 2013 तक एक ही व्यक्ति राजस्व कर्मचारी प्रभार में रहे है। जो कि संभव नहीं है। यह अन्य जमाबंदियों की उक्त अवधि में इस हस्तलिपि के मिलान से भी प्रमाणित है। इस तथ्य से यह भी उजागर होता है कि वर्ष 2013 में जो राजस्व कर्मचारी प्रभार में रहे है उनके ही द्वारा यह सम्पूर्ण कूट रचना क्रियान्वित किया गया है।

अस्तु प्रस्तुत मामलें में बिहार दाखिल खारिज अधिनियम की धारा 9 आकर्षित होती है। इसलिए मौजा–रौन में गठित जमाबंदी सं0–3105 को खंडित किया जाता है। साथ ही अंचल अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे यह देखे कि वर्ष 2013 में कौन कर्मचारी प्रभार में थे और उनका अन्य अभिलेखों में दर्ज हस्तलिपि का मिलान कर उनहें चिन्हित कर कानुनी कार्रवाई का प्रस्ताव भेंजें। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, अलौली को अनुपालनार्थ भेंजे।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

ज्ञा० सं० 339 दिनांक 24/6/24
प्रतिलिपि - अंचल अधिकारी, अलौली को अनुपालन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि - N.I.C. खगड़िया को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

23/5/24
अपर समाहर्त्ता
खगड़िया